यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2013 से 04/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर, व.ले.प. द्वारा दिनांक 08.05.2017 से 20.05.2017 तक श्री मेहन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रेमचन्द्र, स.ले.प.अ. श्री एस.के. डंग, पर्यवेक्षक एवं श्री भावेश कुमार, ले.प. द्वारा दिनांक 23.04.2013 से 29.04.2013 के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2006 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का उन्नयन, खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास, युवाओं के विकास एवं रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	1143.10	963.74	1466.89	1453.67	-	192.58
2014-15	-	-	1353.03	1054.83	945.13	923.04	-	320.29
2015-16	-	-	1467.01	1119.51	1394.84	1273.10	-	469.24
2016-17	-	-	1678.40	1213.68	755.874	715.73	-	504.64

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2013-14	राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर		124.00	124.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर		115.63	115.63	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान		35.26	20.28	0.00	14.98
	42- अन्य व्यय-राष्ट्रीय सेवा योजना विविध व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00
	42- अन्य-व्यय पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान		145.50	145.50	0.00	0.00
2014-15	राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर		125.42	125.42	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर		118.42	118.42	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान		50.37	15.59	0.00	34.78
	42- अन्य व्यय-राष्ट्रीय सेवा योजना विविध व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00
	42- अन्य-व्यय पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान		0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर		123.95	123.95	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर		113.99	113.99	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान		55.15	13.82	0.00	41.33
	42- अन्य व्यय-राष्ट्रीय सेवा योजना विविध व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00
	42- अन्य-व्यय पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान		112.10	47.45	0.00	64.65
	42- अन्य व्यय-शहरी खेल अवस्थापना सुविधा (पायका खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास)		0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर		0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर		0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय सेवा योजना अधिष्ठान		25.52	15.93	0.00	9.59
	42- अन्य व्यय-राष्ट्रीय सेवा योजना विविध व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00
	42- अन्य-व्यय खेलों इंडिया प्रतियोगिता		0.00	0.00	0.00	0.00
	ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का		0.00	0.00	0.00	0.00

	विकास					
	42- अन्य व्यय-शहरी खेल अवस्थापना सुविधा (पायका खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास)		0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (ए) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव → अपर सचिव/निदेशक → अपर निदेशक → संयुक्त निदेशक → उप निदेशक → सहायक निदेशक/सहायक समादेष्टा → सहायक लेखाधिकारी → जिला युवा कल्याण अधिकारी → मुख्य प्रशासनिक अधिकारी → वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी → क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी → प्रशासनिक अधिकारी

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2014 एवं दिसम्बर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया ।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .... लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(अ)</u>

प्रस्तर-1- योजना के उद्देश्यों के विपरीत निर्माण कार्य पर रूपये 161.86 लाख का व्यय।

आउटडोर फील्ड, इंडोर हाल एवं मिनी स्टेडियम निर्माण योजनांतरगत उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े युवाओं के शारीरिक संवर्धन एवं खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु अन्य जनपदों में इंडोर एवं आउटडोर खेलों के लिए मल्टीपर्पस हाल एवं आउटडोर फील्ड जिसमें 200 अथवा 400 मीटर ट्रैक आदि का निर्माण करयाजाना तय था।

उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 मेंयुवा कल्याण निदेशालय परिसर में आडिटोरियम सभागार के निर्माण हेतु प्रथम चरण के प्रकियात्मक कार्य हेतु रूपये 1.17 लाख स्वीकृत किए गए, तत्पश्चात कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माम निगम द्वारा उक्त निर्माण हेतु रूपये 168.96 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया जिसे टी ए सी द्वारा परीक्षाणोपरांत रूपये 161.86 लाख (रूपये 131.96 लाख सिविल कार्य हेतु एवं 29.90 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु) स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 14.07.2014 को शानादेश संख्या 98/VI-2/2014-52(1)2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 50.00 लाख अवमुक्त कर दिये गए। दिनांक 25.03.2015 को पत्र संख्या 191/VI-2/2015-51(22)13 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 20.40 लाख अवमुक्त किए गए। वर्ष 2015-16 में पत्र संख्या 472/VI-2/2015-52(1)14 दिनांक 31.08.2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 40.46 लाख पुनः स्वीकृत कर दिये गए, अंततोगत्वा विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु अंतिम किश्त के रूप में रूपये 51.00 लाख पत्र संख्या 07/VI-2/2016-52(1)14 दिनांक 12.01.2016 को अवमुक्त कर दिये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य योजना के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत था, इंडोर हाल का निर्माण ग्रामीण युवाओं के खेल संवर्धन के लिए किया जाना अपेक्षित था, के स्थान पर मीटिंग हाल एवं आडिटोरियम का निर्माण कराया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंडोर स्पोर्टस हाल के स्थान पर मीटिंग हाल एवं आडिटोरियम बना कर योजना के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत कार्य किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि बहुउद्देशीय आडिटोरियम का निर्माण मद नाम से योजना स्वीकृत हुई जिसके सापेक्ष बहुद्देशीय आडिटोरियम सभागार के निर्माण हेतु धनरासि अवमुक्त हुई।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्माण कार्य योजना के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत था तथा इसके निर्माण से युवाओं के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार का लाभ नहीं होना था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों/शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- बिना एम ओ यू कराये ही रूपये 645.67 लाख कार्यदायी संस्था को निर्माण हेतु अवमुक्त।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 474/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम ओ यू अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

शासनादेश संख्या 212/VI-2/2015-51(6) 14 दिनांक 31.03.2015 द्वारा टिहरी मुख्यालय के बरौड़ी स्थल पर त्रेपन सिंह नेगी, राज्य स्तरीय युवा कल्याण केन्द्र के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा फेज-1 एवं फेज-2 के लिए प्रस्तुत आगणन रूपये 1291.88 लाख के सापेक्ष टी ए सी द्वारा फेज-1 के कार्यों के परीक्षणोपरान्त संस्तुत रूपये 645.67 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपया 100.00 लाख अवमुक्त किए गए। उक्त शासनादेश के पूर्व ही दिनांक 24.03.2015 को कार्यदायी संस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम के स्थान पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम रूड़की कर दिया गया।

उक्त कार्य हेतु दिनांक 06.07.2015 को शासनादेश संख्या 419/VI-2/2015-51(6)14 द्वारा द्वतीय किश्त के रूप में रूपये 100.00 लाख पुनः अवमुक्त कर दिये गए। दिनांक 15.12.2015 को शासनादेश संख्या 766/VI-2/2015-51(6)14 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 300.00 लाख तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त कर दिये गए, तृतीय किश्त अवमुक्त होने के तान दिन बाद ही विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम रूड़की के साथ पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नई टिहरी नामित कर दिया गया। इस प्रकार दिनांक 20.09.2016 तक उक्त कार्य हेतु संस्तुत धनराशि रूपये 645.67 लाख शतप्रतिशत कार्यदायी संस्था को कार्य हेतु अवमुक्त कर दी गयी। धनराशि अवमुक्त हेतु जारी शासनादेशों में स्पष्ट रूप से विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम ओ यू किए जाने के निर्देश दिये गए थे।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम रूड़की के साथ र नही बाद में नामित कि गयी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नई टिहरी के साथ किसी प्रकार एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एम ओ यू न कराये जाने के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ एम ओ यू किए

जाने से पूर्व ही कार्यदायी संस्था बदल दी गयी तथा नयी कार्यदायी संस्था के साथ एम ओ यू की छायाप्रति उपलब्ध करा दी जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व कार्यदायी संस्था को कार्य हेतु दो किश्तें के रूप में भुगतान किया गया था अतः एम ओ यू जाने हेतु समय विभाग के पास था, नयी कार्यदायी संस्था के साथ यदि एम ओ यू करवाया गया होता तो विभाग के पास उपलब्ध होता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- अपात्र एवं अनहर्त अभ्यर्थियों पर रू. 6.55 लाख का अनियमित व्यय।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, विभाग एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति के युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन किया जाता है। वित्त वर्ष 2016-17 में उक्त मद में रू. 200.00 लाख का प्रावधान किया गया। उक्त धनराशि से 229 युवाओं को नर्सिग कोर्स एवं 200 युवाओं के फूड एवं ब्रेवरेज सर्विसेज कोर्स करवाने का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया।

एस.सी.एस.पी. से संबंधित व्यवसायिक प्रशिश्रण कोर्स के अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि Info International Educational & Welfare Society को नर्सिग कोर्स हेतु रू. 43,635.00 की दर से 229 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिये रू. 99,92,415.00 का भुगतान किया गया। जांच में आगे पाया गया कि नर्सिंग कोर्स हेतु 15 ऐसे अभ्यार्थियों का चयन किया गया जो नियमानुसार न्यूनतम 18 वर्ष की आयु सीमा के अनुसार अर्ह नहीं थे (सूची संलग्न) जिससे अर्ह अभ्यार्थियों को वंचित होना पड़ा। एवं रू. 6,54,525.00 (43635*15) की धनराशि अनियमित रूप से व्यय की गई।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि जनपद स्तर से पर्याप्त अभ्यार्थियों के चयन के अभाव में निदेशालय स्तर पर कुछ ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार किया गया जिनमें अभ्यार्थियों की आयु कुछ कम थी। ताकि वर्ग विशेष के अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। विभाग ने यह भी उत्तर दिया कि पात्रता संबंधी आयु का निर्धारण का अधिकार निदेशालय को प्राप्त है। एवं इस संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आयु सीमा कम कियेजाने का निर्णय समय से नहीं लिया गया। औ न ही पुनः आवेदन मांगे गये। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि योजना के क्रियान्वयन में पात्रता संबंधी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाय।

अतः अपात्र एवं अनहर्त अभ्यार्थियों पर रू. 6.55 लाख की धनराशि के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

नर्सिंग कोर्स हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची

(आयु सीमा के अनुसार अनहर्त)

क्र.स्.	नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम
1.	कोमल	20.03.1999	महेश चन्द्र
2.	सुमन आर्या	20.06.1999	कैलाश प्रकाश
3.	प्रिया	02.05.1999	मोहन चन्द
4.	पूजा	04.03.1999	प्रेम लाल
5.	अनमोल रानी	16.12.2000	राकेश कुमार
6.	शिवानी	22.07.1999	राजेन्द्र कुमार
7.	मेनका देवी	05.01.2000	राम पाल
8.	विशाल	12.06.1999	इश्क कुमार
9.	विनय कुमार	12.02.2000	निरधर सिंह
10.	राकेश कुमार	10.05.1999	तारा चन्द
11.	विकास लाल	16.06.1999	मोहन लाल
12.	रजनी	26.06.1999	उमेद लाल
13.	अर्जुन शाह	11.04.1999	धनश्याम सिंह
14.	विकास शाह	02.07.1999	कमल लाल शाह
15.	पवन कुमार	12.05.1999	भगत कुमार

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- आयकर (**TDS**) रू. 0.66 लाख की कटौती न करना।

आयकर की धारा 194C के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भुगतानकर्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के 2% के बराबर धनराशि की कटौती TDS के रूप में करने के पश्चात उसे आयकर विभाग में जमा करना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है किअनुबंध के दौरान यदि भुगतान की धनराशि रू. 10,000/- से अधिक होती है तो पूरे भुगतान पर TDS की कटौती की जायेगी।

भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा निम्नलिखित फर्मों से उनके सम्मुख अंकित TDS की धनराशि की कटौती नहीं की गई है।

1. Institute of Hotel Management- ₹ 60,534/-
   Catering Technology & Applied Nutrition, Dehradun
2. PC Fends- ₹ 1,931/-
3. Doon computers & Stationers- ₹ 3,368/-

Total - ₹ 65,833/-

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने स्वीकार किया कि त्रुटिवश TDS की कटौती नहीं की गयी। एवं TDS की धनराशि वापस प्राप्त कर आयकर खाते में जमा कर दी जायेगी।

अतः आयकर ₹ 0.66 लाख की धनराशि कटौती कर जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- योजना की समाप्ति के पश्चात भी रूपये 3.23 करोड़ का अवरोधन।

देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत युवाओं एवं बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए खेल वं शारीरिक शिक्षा के स्तर को सुदृढ बनाने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) योजना भारत सरकार द्वारा 2007-08 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना का प्रमुख उद्देश्य पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवस्थापना तथा उपकरण उपलब्ध कराकर ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहित करके उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना था। पायका योजना के अंतर्गत आधारभूत स्तर पर खेलों का संवर्धन करने में राज्यों की मदद कर जो वह गंभीर वित्तीय कमी के कारण, अपने स्वयं के संसाधनों से, करने में सक्षम नहीं थे। इससे खेल प्रतिभा का मूलाधार गहन और व्यापक भी होगा जिससे आगे चलकर खिलाडियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन बेहतर होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक लाख रूपये एवं प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए पाँच लाख रूपये का अनुदान 99:10 के अनुपात से क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुदान अनुमन्य किए गए एवं प्रथम किश्त पाँच वर्षों के लिए अनुरश्रण के लिए रूपया दस हजार प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं रूपया बीस हजार प्रत्येक क्षेत्र पंचायत आपूर्ति हेतु अनुमान्य किए गए। पाँच वर्षों बाद योजना में राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना तय था।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते में रूपया 323.69 लाख का अवशेष दिनांक 08.05.2017 पड़ा हुआ था। उक्त योजना वर्ष 2016-17 तक कार्यान्वित थी।

अवशेषों एवं उनके निस्तारण के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि अवशेष के संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध करा दी जाएगी एवं भारत सरकार से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं अवशेषों के संबंध में योजना की समाप्ति पर भी कोई निर्देश निर्गत नहीं किए गए थे।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- योजना की समाप्ति के पश्चात भी पायका सेंटरों का कार्य अपूर्ण।

सेंटरों के निर्माण संबंधी विभिन्न जनपदों की मासिक प्रगति आख्या के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 58 ग्राम पंचायत के मैदानों का निर्माण कार्य प्रगति पर था अतः यह स्पष्ट है कि योजना पूर्ण होने की अवधि तक भी समस्त ग्राम पंचायतों जिनमें योजना केतहत मैदानों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित थी के कार्य पूर्ण नहीं कराये गए थे।

जनपद	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	मा.प्र.आ.
हरिद्वार	-	-	
चमोली	1	1	मई 2017
रूद्रप्रयाग	1	-	जून 2016
टिहरी गढ़वाल	28	-	मई 2016
उधमसिंह नगर	7	-	अप्रैल 2017
नैनीताल	5	-	अगस्त 2016
अल्मोड़ा	7	-	मार्च 2017
चम्पावत	1	-	मार्च 2017
पिथौरागढ़	1	-	मार्च 2017
बागेश्वर	-	-	
पौड़ी	-	-	मार्च 2017
देहरादून	7	-	मार्च 2017
उत्तरकाशी	-	-	मार्च 2017
योग	**58**	**1**	

लेखापरीक्षा द्वारा योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र पूर्ण करने के कडे प्रयास किए जायेगें।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पायका योजना की अवधि क्रियान्वयन के लिए दस वर्ष थी, इसके बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे जोकि योजना के उद्देश्यों के सर्वथा विपरीत था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
................शून्य................				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अजय कुमार प्रद्योत	निदेशक
2.	श्री शैलेश बगौली	निदेशक
3.	श्री प्रशान्त आर्या	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, निदेशक युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)